संख्या-12 /2018/397/38-4-18-26(बजट)/2017

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह ,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2018**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु परिषद द्वारा हडको से लिए गये ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु परिषद द्वारा हडको से लिए गये ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-224/ग्रा0आ0परि0-212, दिनांक 08.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.03.2018 में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रधानमत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत राज्यांश की व्यवस्था हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष दिनांक 31.03.2018 तक के ब्याज की धनराशि **रू0-5175.49443 लाख (इक्यावन करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार चार सौ तैतालीस मात्र)** वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत हडको ऋण के ब्याज हेतु प्राविधानित धनराशि से हडको को भुगतान करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर,2017 में निहित प्राविधानों के अधीन योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से लिए गये ऋणराशि के सापेक्ष ब्याज के भुगतान हेतु व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- देय ब्याज के आगणन की शुद्धता, ब्याज की धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 800-अन्य व्यय 02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू0ओ0-ई-2-339/X-18, दिनांक 21.03.2018 में प्रदान की गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
नागेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष सचिव ।

संख्या- 12/2018/397(1) /38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- विशेष कार्याधिकारी, (बजट प्रकोष्ठ),ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।